स्वयं सहायता समूहः ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम

आकाँक्षा सिंह[1], दिव्यता जोशी[2], प्रियंका शर्मा[2] एवं प्रियाजोय कर[3]
[1]तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मोरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
[2]पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब)
[3]भाकृअनुप–भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, लुधियाना (पंजाब)
संवादी लेखक का ई–मेलः singhakanchha3@gmail.com

सारांश

स्वयं सहायता समूह (एस एस जी) एक ऐसा कदम है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण महिलाएं जो आज भी बिना आय के काम कर रहीं हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्रता की अनुभूति करती हैं। स्वयं सहायता समूह न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वतंत्रता प्रदान करता है अपितु उनमे बचत की आदत को भी विकसित करता है। स्वयं सहयता समूह के माध्यम से महिलाएं अनेक प्रकार के उद्यम भी शुरू कर सकती है, इस प्रकार स्वयं सहयता समूह महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के साथ साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है।

परिचय

महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं, ऐसे में उनकी योग्यता और महत्ता की अनदेखी करना संभव नहीं है। जहाँ महिलाएं देश विदेश में परचम लहरा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका जीवन आज भी दूसरों पर निर्भर हैं, जैसे कि ग्रामीण महिलाएं जो विभिन्न प्रकार की कृषि सम्बंधित गतिविधियों में सम्मिलित होती हैं पर जो वित्तीय समावेशन में अभी भी पीछे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं दुग्ध उद्योग से सम्बंधित क्रियाओं में व्यस्त रहती हैं, 90 प्रतिशत महिलाएं मछली की लेन देन प्रक्रिया में सलंग्न रहती हैं। 60–70 प्रतिशत महिलाएं कृषि सम्बंधित अन्य कार्यों में व्यस्त रहती हैं, किन्तु आय एवं अधिकारों की बात की जाएँ तो आज भी वे पुरुषों से बहुत पीछे हैं। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 51 प्रतिशत ग्रामीण महिलाए आज भी बिना आय के काम कर रही हैं। सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें नवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002) प्रमुख है क्योंकि इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना नारी सशक्तिकरण का सबसे अहम् बिंदु है क्योंकि ऐसा माना जाता है की महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता देश कि प्रगति में अहम् भूमिका निभाती है। इसी दिशा में एक ठोस कदम है "स्वयं सहायता समूह", जो कि महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में कारगर शामिल हो सकता है।

ग्रामीण योजना एवं ऋण विभाग (RPCD)

स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से ग्रामीण योजना एवं ऋण विभाग लोगों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमे 10–20 सदस्य होते हैं। इस समूह में लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं। इस समूह की ये खासियत होती है कि हर सदस्य अपने बचत किये हुए पैसे इसमें जमा करता है, ताकि आवश्यकता पडने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। स्वयं सहायता समूह एक अनौपचारिक समूह है और (आरपीसीडी) के तहत किसी भी सोसायटी अधिनियम, राज्य सहकारी अधिनियम या साझेदारी फर्म के तहत इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। स्वयं सहायता समूह, 1992 में बैंकों के साथ मिलकर नाबार्ड द्वारा पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था तथा शुरुआत में 255 स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया था , अब यह कार्यक्रम 69.5 लाख बचत–लिंक्ड एसएचजी और 48.5 लाख क्रेडिट–लिंक्ड एसएचजी को जोड़ने तक पहुंच गया है और इस प्रकार लगभग 9.7 करोड़ परिवार इस कार्यक्रम के तहत जोड़े जा चुके हैं। इस समूह

की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं

1. समूह छोटा होता जिसमे 10–20 सदस्यों की सहभागिता आवश्यक है।
2. यह समूह आर्थिक और सामाजिक रूप से समान लोगों के बीच में बनता है।
3. प्रत्येक सदस्य की नियमित बचत इस समूह की प्रमुख विशेषता है।
4. जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना इस समूह की विशेषताओं में से एक है विपरीत परिस्तिथियों में ये समूह एक दूसरे को आर्थिक सहायता भी प्रदान करने पर बल देता है।
5. स्वयं सहायता समूह सामूहिक निर्णयों को बल देता है, इस से आपसी तालमेल एवं सबको साथ लेकर चलने की भावना जागृत होती है।
6. यह समूह महिलाओं को खुद के जीवन में ज्यादा नियंत्रण देने पर जोर देता है,ताकि वह अपने निर्णयों को आत्मविश्वास के साथ लेने में सक्षम हो।
7. यह समूह महिलाओं को सामाजिक, व्यक्तिगत और आर्थिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रेरित करता है।
8. सदस्यों में आपसी मतभेद होने पर वार्तालाप को सबसे सफल समाधान माना गया है।
9. इस समूह के बनने के 6 महीने के बाद तक इसके कार्य को देखा जाता है तत्पश्चात यह किसी बैंक, एन॰ जी॰ ओ॰ अथवा सरकारी विभाग से जुड़ जाता है

स्वयं सहायता समूह के सिद्धांत

1. स्वयं सहायता समूह 'आपसी सहयोग' को महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए कार्य करता है।
2. यह समूह आपसी सहयोग एवं सहभागिता को आर्थिक स्वावलम्बन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानता है और इसी दिशा में कार्यकरता है।
3. इस समूह के सिद्धांत ग्रामीण महिलाओं को बचत करने की आवश्यकता के बारे में बताने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
4. इस समूह के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद बचत करके आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हैं।
5. स्वयं सहायता समूह एक समूह होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों के समीप पहुंच सकता है, इसके अलावा समूह होने के कारण इसके लेन देन का क्रय कम हो जाता है, साथ ही जोखिम की संभावनाएं भी सूक्ष्म हो जाती हैं।
6. अनौपचारिक जमा धन सहायता, महिलाओं की आत्मनिर्भरता एवं उनके अधिकारों की दिशा में अनेक द्वार खोल देता है।
7. यह महिलाओं में सामजिक नेतृत्व की भावना को भी प्रेरित करता है एवं उन्हें पहचान दिलाने में सहायक भूमिका निभाता हैं।

स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रक्रिया

स्वयं सहायता समूह किसी सरकारी संस्था, एन.जी.ओ या बैंक की शाखा की सहायता द्वारा निर्मित होता है। समान आवश्यकताओं और रुचि वाली महिलाओं को पहचान की जाती है एवं एक समूह का निर्माण होता है। यह समूह अपनी रूचि अनुसार कुछ कार्य की शुरुआत करता है एवं नियमित मिलता जुलता है। यह समूह अपने बनाये हुए नियमो का पालन करता है । सरकारी संस्था अथवा एन जी ओ इस समूह की गतिविधियों पर नज़र रखती है और गतिविधियों से संतुष्ट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह अपने स्वयं के नेता, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन करता है और नियमित बैठकें करता है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं सहायता समूह को क्षमता निर्माण इनपुट प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे स्वतंत्र और प्रभावी तरीके से इकाइयों को संचालित करने में सक्षम हो सकें। बचत गतिविधि स्वयं सहायता समूह गतिविधियों की अनिवार्य विशेषता है। यह बचत गतिविधि पूंजी के संचय की अनुमति देती है। बचाई जाने वाली राशि समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं तय की जाती है। एक या दो महीने की लगातार बचत की अवधि के बाद, स्वयं सहायता समूह अपनी बचत को सूक्ष्म उद्यमों की गतिविधि और उपभोग सहित अन्य उद्देश्यों के लिए छोटे आंतरिक ऋणों के रूप में बदलना शुरू कर देता

है, जैसा कि सदस्यों द्वारा तय किया जा सकता है। अधिकांश निर्णय लेने के कार्य जैसे कि आंतरिक ऋणों के लिए ब्याज दर, चुकौतीअनुसूची, जुर्माना आदि जैसे कार्य समूह के निर्णय पर छोड़ दिए जाते हैं। केवल वे स्वयं सहायता समूह जिन्होंने आंतरिक बचत को छोटे आंतरिक ऋणों के रूप में बदलने में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के साथ जुड़ाव के माध्यम से बाहरी निधियों से सहायता प्रदान की जाती है। एन.जी.ओ. प्रमोटर और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, सूक्ष्म वित्त प्रणाली की स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं जो गरीब ग्राहकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत सशक्तिकरण लाने में सक्षम है।

स्वयं सहायता समूह को बनाने के लिए समूह को विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, ये चरण समूह के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनमे से कुछ प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

फॉर्मिंग: इस चरण में समान आवश्यकता वाले लोग इक्कट्ठा होते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि वह एक साथ काम क्यों करना चाहते हैं और किस प्रकार उनकी जरूरते एक प्रकार की है।

स्टॉर्मिंग: दूसरा चरण आपसी मतभेद और निराशा प्रकट करने के लिए होता है और इस चरण में समूह के सदस्य एक दूसरे की बातों का खंडन करते हैं और अपनी निराशा व्यक्त करते हैं।

नॉर्मिंग: इस चरण में महिलाएं अपने मतभेदो को आपसी सहमति से निपटाती हैं और कुछ प्रमुख विषयों पर निर्णय लेते हुए समूह के लिए कुछ प्रमुख नियम और कानून बनाती हैं

परफार्मिंग: इस चरण में महिलाएं नियमों के अनुसार अपने कार्यों को शुरू करती हैं और समूह की महत्ता और एकता को धयान में रखते हुए अपना सफल योगदान देती हैं।

उदाहरण

- **फुकादलानी स्वयं सहायता समूह (2002–03):** यह समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के अंतर्गत असम के नाव वोइचा ब्लॉक में कार्यरत है। यह 11 महिलाओं का समूह है जिनके लिए एक 1.05 हेक्टेयर का तालाब निर्मित किया गया। इस तालाब के माध्यम से महिलाएं मछली पालन करती हैं एवं इसे समीप अथवा दूसरे राज्यों के बाज़ारों में बेचती हैं । इस कार्य के द्वारा महिलाओं ने आपार सफलता हासिल की है एवं एक अच्छी राशि जमा की है।
- **जागृति स्वयं सहायता समूह:** यह समूह 2004 में खेड़ा जिले के पोरडा गांव मे बनाया गया। इस समूह के माध्यम से महिलाओं ने बैंक खाते खुलवाए एवं एक अच्छी राशि जमा की, इस राशि का प्रयोग महिलाएं अपने निजी कार्यों को करने एवं कृषि से जुडी समस्याओं को हल करने में करती हैं। जमा की गयी राशि की सहायता से समूह के सभी सदस्यों ने 1–1 भैस खरीदी और उस से हर प्रकार का लाभ ले रहे है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार स्वयं सहायता समूह महिलाओं के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूपसे आत्मनिर्भर बनाता अपितु उनको नवीन व्यवसायों का विकल्प भी देता है। इसलिए स्वयं सहायता समूह बनाना मतलब महिलाओं के उत्थान की ओर एक नया कदम बढ़ाना है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से केवल महिलाओं का ही नहीं बल्कि समग्र रूप से उनके परिवार और समुदाय का सशक्तिकरण हुआ है।

हिन्दी देश की एकता की कड़ी है। – डॉ. जाकिर हुसैन